NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 5-11-2024

विषय सूची

नमो ड्रोन दीदी योजना

दोषियों को स्थायी परिहार (Permanent Remission) देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश

भारत में स्थिर ग्रामीण मजदूरी (rural wages) का विरोधाभास

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs)

संक्षिप्त समाचार

DANA के कारण स्पेन में आकस्मिक बाढ़ आ गई

PM विश्वकर्मा योजना

आदित्य-L1 मिशन

निकल विषाक्तता (Nickel Toxicity) और स्टेरोल्स (Sterols) के बीच संबंध

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

ग्रीन हाइड्रोजन पर टॉय ट्रेन (Toy Train on Green Hydrogen)

अभ्यास VINBAX-2024

भारत, अल्जीरिया ने रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नमो ड्रोन दीदी योजना

समाचार में

- सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
    - दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का संचालन केंद्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा।

नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र, DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) पहल के हिस्से के रूप में योजना।
- **उद्देश्य:** कृषि में किराये की सेवाओं के लिए ड्रोन प्रदान करके स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना। इसका लक्ष्य 2024-2026 तक देश भर में 14,500 SHG को सहायता प्रदान करना है।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
    - **वित्तीय सहायता:** ड्रोन खरीदने के लिए स्वयं सहायता समूहों को 8 लाख रुपये तक की 80% सब्सिडी।
        - कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (AIF) के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण विकल्प, ऋण पर 3% ब्याज अनुदान का प्रस्ताव।
    - **ड्रोन पैकेज:** प्रत्येक पैकेज में आवश्यक सहायक उपकरण शामिल हैं: स्प्रे असेंबली, बैटरी, कैमरा, चार्जर और माप उपकरण।
        - अतिरिक्त बैटरियां और प्रोपेलर प्रदान किए गए हैं, जिससे प्रतिदिन 20 एकड़ तक कार्यक्षेत्र संभव हो सकेगा।
    - **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** प्रत्येक SHG एक ड्रोन पायलट को नामित करेगा, जिसे ड्रोन संचालन में 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें पोषक तत्वों और कीटनाशकों के छिड़काव जैसे कृषि कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    - **कार्यान्वयन और निगरानी:** प्रमुख उर्वरक कंपनियां (LFCs) राज्य स्तर पर राज्य विभागों, ड्रोन निर्माताओं और SHG संघों के साथ समन्वय करके योजना को क्रियान्वित करेंगी।
        - इस योजना का संचालन एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति करेगी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे
    - **IT-आधारित ड्रोन पोर्टल:** ड्रोन पोर्टल, एक IT-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) है, जो ड्रोन उपयोग की संपूर्ण निगरानी, निधि संवितरण और वास्तविक समय पर ट्रैकिंग प्रदान करेगा।

महत्त्व

- **महिलाओं को सशक्त बनाना:** कृषि ड्रोन सेवाओं के माध्यम से आय सृजन के अवसर प्रदान करके महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को समर्थन प्रदान करता है।
- **कृषि का आधुनिकीकरण:** उर्वरक और कीटनाशकों के कुशल उपयोग के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू किया गया, जिससे फसल की उपज और उत्पादकता में वृद्धि हुई।
- **किसानों के लिए लागत में कमी:** ड्रोन समय और श्रम बचाते हैं, जिससे उन्नत कृषि पद्धतियाँ अधिक किफायती हो जाती हैं।
- **ग्रामीण कौशल विकास को बढ़ावा:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देते हुए ड्रोन संचालन और रखरखाव में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है।

- **सरकारी पहलों का समर्थन:** DAY-NRLM और किसान ड्रोन के साथ सामंजस्य बनाकर, ग्रामीण सशक्तीकरण और सतत कृषि के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना।
- **तकनीकी पहुंच में वृद्धि:** ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक लाना, भारत के कृषि क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देना।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **स्वयं सहायता समूहों पर वित्तीय भार:** हालांकि यह योजना लागत का 80% कवर करती है, लेकिन स्वयं सहायता समूहों को शेष 20% ऋण के माध्यम से सुरक्षित करना होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है यदि कृषि में ड्रोन के उपयोग से आर्थिक लाभ उम्मीदों से कम हो।
- **तकनीकी जटिलता के लिए सीमित प्रशिक्षण:** 15-दिवसीय प्रशिक्षण स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए कीटनाशक छिड़काव या अप्रत्याशित समस्याओं के निवारण जैसे जटिल कार्यों को संभालने के लिए अपर्याप्त हो सकता है।
- **नौकरशाही स्तर:** समन्वय के लिए प्रमुख उर्वरक कंपनियों पर निर्भरता नौकरशाही अक्षमताओं को जन्म दे सकती है, जिससे योजना का कार्यान्वयन धीमा हो सकता है।
- **पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिम:** जैव विविधता पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, विशेषकर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के संरक्षणवादियों ने चिंता व्यक्त की कि हवाई छिड़काव से परागणकों और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को हानि हो सकती है।

आगे की राह

- **वित्तीय सहायता में वृद्धि:** SHGs पर वित्तीय दबाव को रोकने के लिए शेष 20% के लिए ऋण के बजाय अनुदान या सब्सिडी पर विचार करें।
- **विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रम:** SHGs को तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित करने के लिए संभवतः रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों सहित लंबे, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करें।
- **पर्यावरण सुरक्षा:** जैव विविधता और स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करने के लिए, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के पास, सुरक्षित हवाई कीटनाशक अनुप्रयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करें।

Source: AIR

दोषियों को स्थायी परिहार (permanent remission) देने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने देश में दोषियों को स्थायी छूट देने से संबंधित नीतियों के मानकीकरण और पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए हैं।

निर्णय के मुख्य बिंदु

- **नीति की सुलभता और सूचना:** राज्यों को सभी दोषियों के लिए छूट नीतियों को सुलभ बनाना चाहिए, जिनकी प्रतियां जेलों में उपलब्ध हों और सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड की गई हों।

- जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छूट के लिए पात्र दोषियों को इन नीतियों के बारे में सूचित किया जाए।

- **निर्णयों का समय पर संचार:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सप्ताह के अंदर छूट आवेदनों की अस्वीकृति के बारे में दोषियों को सूचित करना चाहिए।
- **अद्यतन नीति उपलब्धता:** छूट नीतियों में कोई भी संशोधन तुरंत जेलों और ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

भारत में दोषियों को स्थायी छूट

- इसका अर्थ है सज़ा की अवधि को कम करना या लघुकरण करना या अच्छे आचरण, विशेष परिस्थितियों या कुछ कानूनी प्रावधानों के आधार पर जेल से जल्दी रिहाई की अनुमति देना।
- निम्नलिखित कानूनी आधारों पर सज़ा में छूट दी जा सकती है:
  - **अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति की शक्ति):** भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी को, जिसमें मृत्युदंड के तहत दोषी ठहराया गया व्यक्ति भी शामिल है, क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार में छूट देने की शक्ति है।
    - इसका प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद किया जा सकता है।
  - **अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की शक्तियाँ):** किसी राज्य के राज्यपाल के पास उस राज्य के न्यायालयों द्वारा सजा सुनाए गए व्यक्तियों के लिए समान शक्तियाँ होती हैं।
    - उपयुक्त सरकार का परामर्श राज्य के प्रमुख को बाध्य करती है।
  - **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432:** यह सरकार (केंद्र या राज्य) को किसी दोषी की सजा माफ करने या निलंबित करने का अधिकार देती है।
    - यह कारावास की सजा पाए व्यक्ति की सजा को कम करने की अनुमति देता है, जो परिस्थितियों के आधार पर अस्थायी या स्थायी हो सकती है।

परिहार के प्रकार

- **पूर्ण परिहार (Full Remission:):** सजा का पूर्णतः हटाया जाना या निरस्त किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप दोषी को जेल से तत्काल रिहा कर दिया जाता है।
- **आंशिक परिहार (Partial Remission):** इससे सजा की अवधि कम हो जाती है, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं होती।
- **विशेष परिहार (Special Remission:):** कभी-कभी, विशेष माफी के भाग के रूप में छूट प्रदान की जाती है, सामान्यतः स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवकाशों पर, या ऐसे मामलों में जहां सरकार कुछ श्रेणियों के कैदियों, जैसे बुजुर्ग, बीमार या महिला कैदियों को राहत देने का निर्णय लेती है।

लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (2000)

- इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए:
  - क्या अपराध समाज को प्रभावित किए बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कृत्य है;
  - क्या भविष्य में अपराध करने की कोई संभावना है;
  - क्या दोषी ने अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है;
  - क्या दोषी को और अधिक कारावास में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है;
  - दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

- कई ऐतिहासिक निर्णय (जैसे मारू राम बनाम भारत संघ (1981) या भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2016) सजा की माफी से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे:
  - राष्ट्रपति और राज्यपाल की छूट या कम्यूटेशन देने की विवेकाधीन शक्तियाँ।
  - छूट के निर्णयों की समीक्षा करने में कार्यकारी शक्तियों और न्यायपालिका के बीच संबंध।
  - छूट प्रक्रिया में पुनर्वास, अच्छे आचरण और न्यायिक निगरानी का महत्व, विशेष रूप से आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों के संबंध में।

भारत में जमानत के प्रावधान

- भारत में, जमानत के प्रावधान मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) द्वारा शासित होते हैं।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के माध्यम से भारत में पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों ने जमानत प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। जबकि जमानत के मूल सिद्धांत वही रहते हैं।
- जमानत प्रावधानों के कुछ सबसे सामान्य प्रकार:
  - **नियमित जमानत:** एक आरोपी को जमानत बांड प्रस्तुत करने और न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करने के बाद जमानत पर रिहा किया जाता है। नियमित जमानत मुकदमे के किसी भी चरण में दी जा सकती है।
  - **अग्रिम जमानत:** यह उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका होती है। इस प्रकार की जमानत न्यायालय द्वारा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका करता है और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करता है।
  - **अंतरिम जमानत:** यह नियमित जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान एक छोटी अवधि के लिए दी जाती है। यह सामान्यतः आरोपी को जमानत प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिए दी जाती है।
  - **डिफ़ॉल्ट जमानत:** यह तब दी जाती है जब अभियुक्त को निर्धारित समय अवधि के अंदर जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, गैर-जमानती अपराधों के मामले में सामान्यतः 90 दिन।

निष्कर्ष

- स्थायी छूट भारत में राज्य और केंद्र सरकारों के पास उपलब्ध एक शक्ति है, जिसका उद्देश्य उन दोषियों को दूसरा मौका देना है जिन्होंने पुनर्वास, अच्छे आचरण या विशेष परिस्थितियों का प्रदर्शन किया है।
- हालांकि, यह सख्त कानूनी ढांचे के अधीन है, और इस तरह की छूट देने के निर्णय में दोषी के मामले और परिस्थितियों की गहन समीक्षा सम्मिलित है।

Source: BS

भारत में स्थिर ग्रामीण मजदूरी (rural wages) का विरोधाभास

सन्दर्भ

- हाल के वर्षों में भारत की प्रभावशाली GDP वृद्धि के बावजूद, ग्रामीण मजदूरी काफी सीमा तक स्थिर रही है, जिससे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है जो समावेशी आर्थिक विकास के बारे में चिंताएं उत्पन्न करता है।

भारत में ग्रामीण मजदूरी

- भारत में ग्रामीण मज़दूरी ग्रामीण जनसँख्या के आर्थिक स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक रही है, जो देश के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- श्रम ब्यूरो के अनुसार, कृषि और गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मज़दूरी दरों ने पिछले कुछ वर्षों में मिश्रित दृष्टिकोण दिखाया है। उदाहरण के लिए, मज़दूरी दर सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में मज़दूरी वृद्धि में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

स्थिर ग्रामीण मजदूरी के निहितार्थ

- **आर्थिक निहितार्थ:** उपभोक्ता खर्च में कमी; गरीबी और असमानता में वृद्धि; तथा शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन आदि।
- **सामाजिक निहितार्थ:** शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव; लैंगिक असमानता; तथा सामाजिक अशांति जैसे अपराध का उच्च स्तर, राजनीतिक अस्थिरता एवं सामाजिक तनाव।

आर्थिक विकास बनाम वेतन स्थिरता

- भारत का सकल घरेलू उत्पाद हाल के वर्षों में औसतन 7.8% की दर से तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, इस वृद्धि ने ग्रामीण श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि में परिवर्तित नहीं किया है।
- वास्तव में, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित वास्तविक मजदूरी या तो स्थिर हो गई है या घट गई है। यह विसंगति एक महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रकट करती है: आर्थिक विकास की प्रकृति।

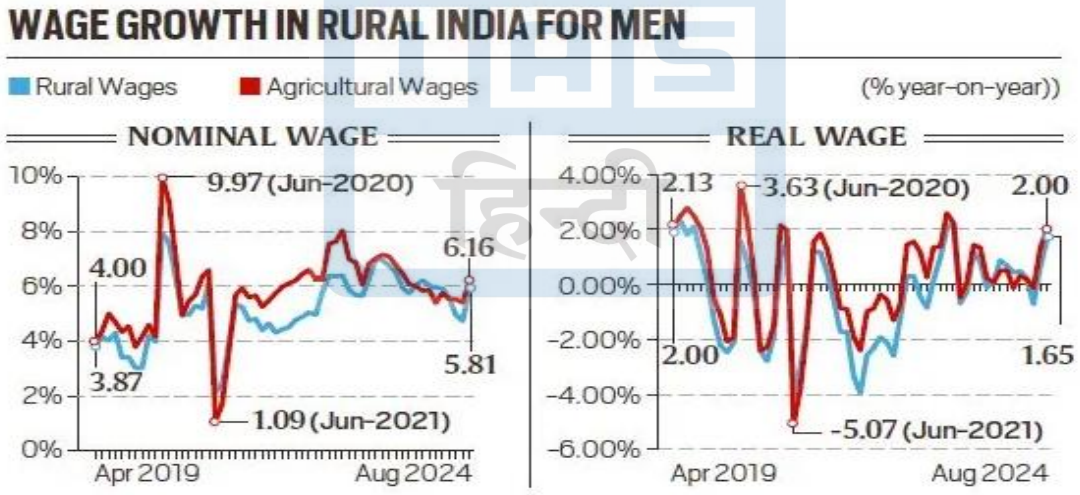

Note: Nominal wages are simple arithmetic all-India average for rural male labourers across 25 agricultural and non-agricultural occupations. For real wages, the Consumer Price Index (Rural) has been used. *Source: Labour Bureau*

वेतन स्थिरता को बढ़ावा देने वाले कारक

- **श्रम-प्रधान बनाम पूंजी-प्रधान वृद्धि:** भारत की हालिया आर्थिक वृद्धि का अधिकांश भाग पूंजी-प्रधान क्षेत्रों द्वारा संचालित है, जो श्रम-प्रधान क्षेत्रों की तुलना में अधिक रोजगार सृजित नहीं करते हैं। इस परिवर्तन ने ग्रामीण श्रम की मांग को सीमित कर दिया है, जिससे मजदूरी कम बनी हुई है।
- **मुद्रास्फीति:** जबकि नाममात्र मजदूरी में कुछ वृद्धि देखी गई है, लेकिन मुद्रास्फीति ने इसे पीछे छोड़ दिया है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की वास्तविक क्रय शक्ति कम हो गई है।

- उदाहरण के लिए, श्रम ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि नाममात्र ग्रामीण मजदूरी वृद्धि 5.2% थी, जबकि वास्तविक मजदूरी वृद्धि -0.4% थी।

- **श्रम बल भागीदारी:** उज्ज्वला और हर घर जल जैसी सरकारी योजनाओं द्वारा संचालित कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने श्रम आपूर्ति का विस्तार किया है।
  - इसने मजदूरी पर नीचे की ओर दबाव बनाया है, क्योंकि अधिक श्रमिक समान रोजगारों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- **कृषि पर निर्भरता:** ग्रामीण रोजगार का एक महत्वपूर्ण भाग अभी भी कृषि में है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने समग्र आर्थिक प्रगति के बावजूद आनुपातिक मजदूरी वृद्धि नहीं देखी है।
  - हाल के वर्षों में 4.2% और 3.6% की कृषि विकास दरें पर्याप्त मजदूरी वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त नहीं रही हैं।

ग्रामीण मजदूरी वृद्धि बढ़ाने के उपाय

- **ग्रामीण रोजगार का विविधीकरण:** ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने से कृषि पर निर्भरता कम करने और आय के नए स्रोत बनाने में सहायता मिल सकती है। इसे कौशल विकास कार्यक्रमों और ग्रामीण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और मजदूरी दरों में सुधार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण रहा है। हालाँकि, MGNREGA की प्रभावशीलता वाद-विवाद का विषय रही है।
- **मुद्रास्फीति नियंत्रण:** मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं कि नाममात्र मजदूरी वृद्धि वास्तविक मजदूरी लाभ में परिवर्तित हो जाए।
  - इसमें कीमतों को स्थिर करने और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीतियाँ शामिल हैं।
- **आय सहायता कार्यक्रम:** प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण जैसे आय सहायता कार्यक्रमों का विस्तार ग्रामीण श्रमिकों को तत्काल राहत प्रदान कर सकता है और मजदूरी में ठहराव के प्रभाव को कम करने में सहायता कर सकता है।
  - महाराष्ट्र की लड़की बहिन योजना जैसे कार्यक्रम पूरक नकद हस्तांतरण प्रदान करते हैं जो स्थिर मजदूरी को आंशिक रूप से संतुलित कर सकते हैं।
- **श्रम बाजार सुधार:** श्रम बाजार सुधारों को लागू करना जो रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाते हैं और कार्य करने की स्थिति में सुधार करते हैं, ग्रामीण रोजगार को अधिक आकर्षक और सतत बना सकते हैं। इसमें न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करना और ग्रामीण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना सम्मिलित है।

नीतिगत निहितार्थ

- **लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता:** नीति निर्माताओं को वेतन में स्थिरता को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप डिजाइन करने की आवश्यकता है। इसमें ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना शामिल है।
- **समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले।
  - नीतियों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सहित अधिक न्यायसंगत अवसर बनाना होना चाहिए।
- **श्रम अधिकारों को मजबूत करना:** ग्रामीण श्रमिकों के लिए श्रम अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ाने से उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सुधार हो सकता है और उचित वेतन सुनिश्चित हो सकता है।

  - इसमें न्यूनतम वेतन कानून लागू करना और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना शामिल है।
- **प्रौद्योगिकियों की भूमिका:** परिशुद्ध खेती द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाना; मोबाइल ऐप और eNAM जैसे प्लेटफ़ॉर्म; नए रोज़गार के अवसर तथा डिजिटल कौशल प्रशिक्षण का सृजन; अमेज़न सहेली एवं फ्लिपकार्ट समर्थ जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बाज़ार पहुँच में सुधार; आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन आदि।

निष्कर्ष

- स्थिर ग्रामीण मज़दूरी के विरोधाभास को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें विविध रोज़गार को बढ़ावा देना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आय सहायता का विस्तार करना और श्रम बाज़ार सुधारों को लागू करना शामिल है।
- ग्रामीण मज़दूरी को समग्र आर्थिक प्रगति के साथ जोड़कर, भारत अधिक समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित कर सकता है।

Source: IE

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs)

समाचार में:

- न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में बताया गया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने भारत की GDP पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

अध्ययन के बारे में

- शोध में माल ढुलाई लागत, उद्योग इनपुट और जनसंख्या सांख्यिकी सहित विविध डेटा का उपयोग किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि DFCs ने माल ढुलाई लागत में कमी के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों और प्रति व्यक्ति GDP वाले राज्यों को काफी लाभ पहुंचाया है।
- DFCs ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच भारतीय रेलवे के राजस्व में 2.94% की वृद्धि की है। माल परिवहन में बेहतर दक्षता के कारण माल ढुलाई लागत में कमी आई है और यात्रा का समय कम हुआ है, जिससे कमोडिटी की कीमतों में 0.5% की कमी आई है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) क्या हैं?

- ये माल परिवहन के लिए समर्पित मार्ग हैं जो तेज़ और उच्च क्षमता वाले परिवहन की अनुमति देते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करते हैं तथा निर्यात-आयात गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
- DFC पहल की घोषणा वित्त वर्ष 2005-06 के रेल बजट में की गई थी।
  - कॉरिडोर के निर्माण और संचालन के लिए 2006 में एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की स्थापना की गई थी।

नवीनतम घटनाक्रम

- रेल मंत्रालय द्वारा 2006 में दो DFCs शुरू किए गए थे:
  - **पूर्वी समर्पित माल गलियारा (EDFC):** सोननगर, बिहार से साहनेवाल, पंजाब तक 1,337 किमी (पूरा हो चुका है)।
  - **पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC):** जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई से दादरी, उत्तर प्रदेश तक 1,506 किमी (93% चालू, दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद)।

- पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों (DFCs) के अतिरिक्त, भारत ने चार और DFCs प्रस्तावित किए हैं:
    - पूर्व-पश्चिम DFC: कोलकाता से मुंबई
    - उत्तर-दक्षिण DFC: दिल्ली से चेन्नई
    - पूर्वी तट DFC: खड़गपुर से विजयवाड़ा
    - दक्षिणी DFC: चेन्नई से गोवा

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) की आवश्यकता

- **भीड़भाड़ कम करना:** भारतीय रेलवे का स्वर्णिम चतुर्भुज प्रमुख महानगरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़ता है और इस पर अत्यधिक भार है।
    - डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) भीड़भाड़ कम करेंगे, दक्षता में सुधार करेंगे और भारत की बढ़ती परिवहन मांगों का समर्थन करेंगे।
- **माल ढुलाई दक्षता को बढ़ावा देना और यात्रा समय को कम करना:** DFCs माल ढुलाई के लिए समर्पित ट्रैक प्रदान करते हैं, जिससे माल की तेज़ और निर्बाध आवाजाही संभव होती है।
- **आर्थिक प्रभाव:** इसका उद्देश्य रसद लागत को कम करना, उद्योगों को लाभ पहुंचाना और भारतीय रेलवे के लिए राजस्व बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2022-23 में, DFCs ने भारतीय रेलवे के लिए 2.94% राजस्व वृद्धि में योगदान दिया।
- **माल ढुलाई लागत और कमोडिटी की कीमतों में कमी:** DFCs दक्षता में सुधार करते हैं, परिवहन लागत कम करते हैं और कमोडिटी की कीमतों को कम कर सकते हैं।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

DANA के कारण स्पेन में आकस्मिक बाढ़ आई

समाचार में

- स्पेन में प्रलयंकारी आकस्मिक बाढ़ ने मुख्य रूप से DANA घटना को उत्तरदायी ठहराया।

DANA के बारे में

- स्पेन में DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) या उच्च ऊंचाई वाले पृथक अवसाद के रूप में जाना जाता है, यह प्रणाली सामान्य तूफानों के विपरीत, सामान्य जेट धाराओं से स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती है।
- **निर्माण तंत्र:** ठंडी हवा गर्म भूमध्यसागरीय जल पर चलती है, जिससे गर्म हवा तेज़ी से ऊपर उठती है।
    - इससे घने, नमी से भरे बादल बनते हैं जो एक क्षेत्र में रह सकते हैं, जिससे गंभीर बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।
- DANA अधिकांशतः शरद ऋतु में होता है, जब गर्मियों की गर्म सतह की गर्मी ध्रुवीय क्षेत्रों से अचानक ठंडी हवा से मिलती है, जिससे एक कम दबाव वाली प्रणाली बनती है जो एक विशिष्ट क्षेत्र पर बनी रहती है।

Source: Reuters

PM विश्वकर्मा योजना

समाचार में

- PM विश्वकर्मा योजना को 25 मिलियन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

PM विश्वकर्मा योजना

- **परिचय:** भगवान विश्वकर्मा (भारतीय संस्कृति में कारीगरों और शिल्पकारों के देवता) के नाम पर इसका नाम रखा गया है; इसे 2023 में लॉन्च किया गया था।
- **नोडल मंत्रालय:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र की योजना (भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित)
- **उद्देश्य:** 18 निर्दिष्ट ट्रेडों (जैसे, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, आदि) में कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करता है।
  - कारीगरों को अपने उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचने में सक्षम बनाना।
  - पारंपरिक शिल्प और कारीगर उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
  - **कारीगरों को मान्यता:** PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र।
  - **कौशल उन्नयन: बुनियादी प्रशिक्षण:** 5-7 दिन, 500 रुपये प्रतिदिन का वजीफा।
  - **उन्नत प्रशिक्षण:** 15+ दिन, वृत्ति के साथ।
  - **टूलकिट प्रोत्साहन:** बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआत में औजारों के लिए 15,000 रुपये तक का ई-वाउचर।
  - **कारीगरों को ऋण सहायता:** 3 लाख रुपये तक का जमानत-मुक्त ऋण, 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की किस्तों में विभाजित।
    - 5% रियायती ब्याज, 8% सरकारी अनुदान के साथ।
  - **विपणन सहायता:** इसमें गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (जैसे, GeM) पर ऑनबोर्डिंग और बेहतर बाजार लिंकेज के लिए विज्ञापन शामिल हैं।

Source: AIR

आदित्य-L1 मिशन

समाचार में

- आदित्य-L1 से पहला वैज्ञानिक परिणाम जारी कर दिया गया है।

परिचय

- विज़िबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VELC) से डेटा का उपयोग करके, वैज्ञानिक सूर्य से कोरोनाल मास इजेक्शन (CME) की सटीक शुरुआत का निरीक्षण करने में सक्षम थे।
- कोरोनल मास इजेक्शन (CME) पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में उपग्रहों में इलेक्ट्रॉनिक्स को हानि पहुंचा सकता है और पृथ्वी पर रेडियो संचार नेटवर्क को बाधित कर सकता है। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए CME को समझना तथा भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है।

आदित्य L1 मिशन के बारे में

- आदित्य-L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य लैग्रेंजियन पॉइंट 1 (L1) से सूर्य के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण और विश्लेषण करना है।
- लैग्रेंजियन पॉइंट 1 (L1) अंतरिक्ष में एक ऐसी स्थिति है जहाँ दो खगोलीय पिंडों, जैसे सूर्य और पृथ्वी, के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में होते हैं। इस बिंदु पर, आदित्य-L1 बिना किसी व्यवधान के सूर्य का लगातार निरीक्षण कर सकता है।

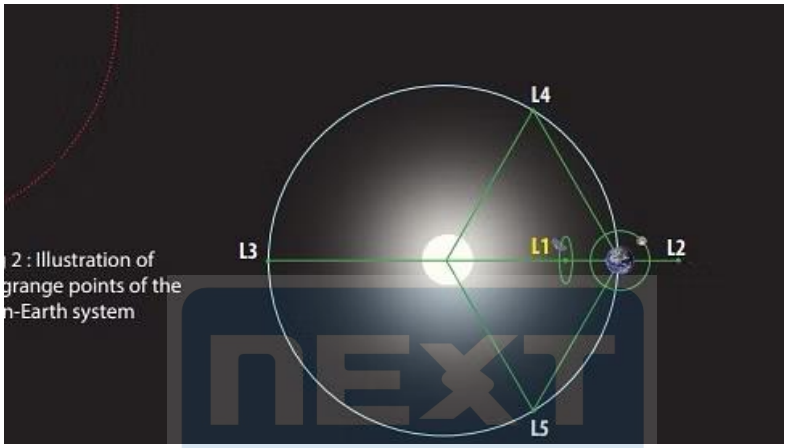

Source: TH

निकल विषाक्तता (Nickel Toxicity) और स्टेरोल्स(Sterols) के बीच संबंध

सन्दर्भ

- शोधकर्ताओं ने पाया है कि स्तनधारी और कवक कोशिकाओं को भारी धातु निकल के संपर्क में लाने से स्टेरोल की कमी हो जाती है।
    - इस रिपोर्ट तक, किसी को भी संदेह नहीं था कि निकल विषाक्तता कवक और जानवरों में स्टेरोल जैवसंश्लेषण से संबंधित थी।

परिचय

- यीस्ट सहित कवक में, प्रमुख स्टेरोल एर्गोस्टेरॉल है। एर्गोस्टेरोल जैवसंश्लेषण को अवरुद्ध करने से कवक की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- फंगल संक्रमण से लड़ने के लिए मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण एजेंट एज़ोल्स (जैसे फ्लूकोनाज़ोल) हैं जो एर्गोस्टेरॉल जैवसंश्लेषण को रोकते हैं।

स्टेरोल्स

- **पौधों में:** स्टेरोल्स पौधों, जानवरों और कवकों की कोशिका झिल्लियों का एक महत्वपूर्ण रासायनिक घटक है। यह यौगिक झिल्लियों को अधिक कठोर बनाता है।
- मनुष्यों सहित स्तनधारियों में, मुख्य स्टेरोल कोलेस्ट्रॉल है।
    - यदि यह शरीर में उच्च सांद्रता में उपस्थित है, तो यह हमारी रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत में जमा हो जाता है।
    - जमा होने पर, वे रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं, जिससे अंततः सीने में दर्द, दिल का दौरा और/या स्ट्रोक होता है।

- इन प्रतिकूल परिणामों से बचने के लिए, डॉक्टरों ने शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए स्टैटिन नामक दवाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया - अर्थात कोलेस्ट्रॉल जैवसंश्लेषण -।
- इस अध्ययन से एक नवीन एंटीफंगल एजेंट की खोज में सहायता मिल सकती है।

Source: TH

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन(ISA)

समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की सातवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत को 2024 से 2026 तक दो वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष और फ्रांस को सह-अध्यक्ष चुना गया।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन(ISA)

- **परिचय:** यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21) में लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - 2030 तक विश्व भर में 1000 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करना।
  - सदस्य देशों के लिए सौर ऊर्जा निवेश में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाना।
  - सौर ऊर्जा की लागत कम करने के लिए वित्तीय तंत्र विकसित करना।
  - वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को मुख्यधारा के स्रोत के रूप में स्थापित करना।
- **विकास:** शुरुआत में उष्णकटिबंधीय देशों के लिए, ISA ने 2020 में अपने दायरे का विस्तार किया, जिससे सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को इसमें शामिल होने की अनुमति मिली। वर्तमान में, 110 से अधिक देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 90 पूर्ण सदस्य हैं।
  - यह भारत में गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) में मुख्यालय वाला पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन बन गया।
- **प्रशासन संरचना:**
  - **ISA सभा:** सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से युक्त मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था।
  - **संचालन समिति:** रणनीतिक मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करती है।
  - **सचिवालय:** निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक निकाय।
  - **महानिदेशक:** 4 वर्ष की अवधि के लिए ISA सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, तथा पुनः निर्वाचित होने की संभावना भी होती है।

ISA की कुछ महत्वपूर्ण पहल

- **सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केन्द्र (STAR-C):** सौर परिनियोजन के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- **कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोगों का विस्तार (SSAAU):** कृषि में सौर उपयोग को बढ़ावा देता है (जैसे, सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज)।
- **ISA CARES:** दूरदराज के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संचालित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है।
- **एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG):** इसका उद्देश्य ऊर्जा साझाकरण के लिए एक वैश्विक सौर ग्रिड बनाना है।
- **सौर पार्क कार्यक्रम:** बड़े सौर पार्कों के विकास में सहायता करता है।

- **ISA पुरस्कार:** सौर नवाचार में उपलब्धियों को मान्यता देता है।
- **रूफटॉप सोलर कार्यक्रम:** शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर अपनाने का समर्थन करता है।

Source: TH

ग्रीन हाइड्रोजन पर टॉय ट्रेन (Toy Train on Green Hydrogen)

सन्दर्भ

- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कालका-शिमला नैरो-गेज रेलवे पर हरित हाइड्रोजन से ट्रेनें चलाने की संभावना खोजने का आग्रह किया।

परिचय

- यह परिवर्तन राज्य को 2026 तक 'हरित ऊर्जा राज्य' बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- राज्य अपनी वर्तमान 1,500 मिलियन यूनिट (MUs) की तापीय बिजली खपत को हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय स्रोतों से बदलने की राह पर है।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

- ग्रीन हाइड्रोजन से तात्पर्य हाइड्रोजन से है जो पवन, सौर या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।
  - इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत प्रवाह का उपयोग करके पानी (H_2O) को हाइड्रोजन (H_2) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित करना शामिल है।
  - जब यह बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है, तो उत्पादित हाइड्रोजन को "ग्रीन" माना जाता है क्योंकि समग्र प्रक्रिया का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।
- **लाभ:** यह एक स्वच्छ दहनशील तत्व है जो लोहा और इस्पात, रसायन तथा परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज कर सकता है।
  - हाइड्रोजन को लंबे समय तक संग्रहीत किया जा सकता है जिसका उपयोग ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करके बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है।

Source: TH

अभ्यास VINBAX-2024

सन्दर्भ

- वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय सेना अभ्यास "VINBAX-2024" का 5वां संस्करण भारत के अंबाला में शुरू हुआ।

परिचय

- 2018 में शुरू किया गया, अभ्यास VINBAX भारत और वियतनाम में बारी-बारी से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- अभ्यास का उद्देश्य सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना, अंतर-संचालन को बढ़ावा देना और शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है।
- इस संस्करण में दोनों देशों की सेना और वायु सेना के कर्मियों द्वारा पहली बार द्वि-सेवा स्तर की भागीदारी के साथ दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

Source: PIB

भारत, अल्जीरिया ने रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सन्दर्भ

- भारत और अल्जीरिया ने रक्षा संबंधों को बढ़ाने, आपसी समझ को बढ़ावा देने और रणनीतिक हितों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

अल्जीरिया के बारे में (राजधानी: अल्जीयर्स)

- **अवस्थिति:** भूमध्यसागरीय तट पर उत्तरी अफ्रीका का माघरेब क्षेत्र।
  - अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया को माघरेब देश कहा जाता है।
- **सीमाएँ:** उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में मोरक्को, सहरावी अरब गणराज्य और मॉरिटानिया, दक्षिण में माली और नाइजर, पूर्व में लीबिया और ट्यूनीशिया।
- **भौगोलिक संरचना:** अल्जीरिया में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ एटलस पर्वत हैं, जो मोरक्को की सीमा से ट्यूनीशिया की पूर्वी सीमा तक विस्तारित हैं। अल्जीरिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट ताहत है, जो अहगर पर्वत में स्थित है।
  - चेलिफ़ नदी अल्जीरिया की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है।

Source: AIR

■■■■